# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

( पीठासीन अधिकारी–समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–229 / 2016

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. भारमलराम पुत्र रामजीराम<br>2. लाखाराम पुत्र रामजीराम<br>3. जुगताराम पुत्र रामजीराम<br>4. गोकलाराम पुत्र रामजीराम जाति सुथार निवसी लोलावा तहसील सिणधरी | | 1. रामाराम पुत्र नेतसीराम<br>2. लक्ष्मणराम पुत्र नेतसीराम<br>3. कृष्णराम पुत्र नेतसीराम<br>4. पातुदेवी पत्नि नेतसीराम जाति भील निवासी लोलावा तहसील सिणधरी<br>5. आम्बाराम पुत्र प्रभाराम<br>6. गिरधारीराम पुत्र केवाराम<br>7. गुणेशाराम पुत्र केवाराम जाति कलबी निवासी लोलावा तहसील सिणधरी<br>8. तहसीलदार सिणधरी |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

## निर्णय

दिनांक– 15.10.2025.

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 179 रकबा 27.01 बीघा ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जिस पर काबिज होकर वे काश्त करते आ रहे है। वादीगण के उक्त खातेदारी खेत के सेढ़ा–सेढ़ प्रतिवादी सं. 1 से 7 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 182 व 152 आये हुए है। प्रतिवादी धनिक,बलशाली, बदमाश, झगड़ालू प्रवृति के एवं राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है और उन्होनें अपने सेढ़े में वादीगण की खातेदारी भूमि के कुछ भाग पर अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। तब वादीगण ने अपने उक्त खातेदारी खेत की नेखमबंदी हेतु उपखण्ड अधिकारी न्यायालय गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2007 को पारित आदेश की पालना में उप तहसील सिणधरी के राजस्व कर्मियों द्वारा की गई पैमाईश में खसरा संख्या 179 के S-W-Y मार्क से दर्शित भूभाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 का तथा मार्क U-T से दर्शित

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

भूभाग पर प्रतिवादी सं. 5 से 7 का अनाधिकृत रूप से कब्जा होना पाया गया। बार–बार निवेदन के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा अतिक्रमित भूमि का कब्जा वादीगण को सुपुर्द नहीं किया गया। अतः वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 179 से प्रतिवादी सं. 1 से 7 को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने एवं बाद कब्जा हस्तांतरण प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई।

वकील वादीगण की ओर से वादी भारमलराम पी.डब्ल्यु–01 का साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी, पड़ौसी ख.सं. 182 व 152 की जमाबंदिया, उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा जारी नेखमबंदी आदेश एवं उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का गोलिया जीवराज द्वारा तैयार पालना फर्द मय नक्शा प्रस्तुत किये। वादीगण के आवेदन पर वादग्रस्त भूमि की तहसीलदार सिणधरी से तथ्यात्मक मौका फर्द तलब की गई।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 179 रकबा 27.01 बीघा भूमि के रिकार्डेड खातेदार हे, जिसकी उत्तरी सीमा से लगता प्रतिवादी सं. 5 से 7 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 152 रकबा 156.09 बीघा तथा दक्षिणी सीमा से लगता प्रतिवादी सं. 1 से 4 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 182 रकबा 26–04 बीघा अवस्थित है। प्रतिवादी सं. 1 से 7 सरजोर ताकतवर एवं राजनीतिक प्रभुत्व वाले झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति होने से उन्होंने अपने खातेदारी खेतों की सीमा से लगते वादीगण के आशिंक भूभाग पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। नेखमबंदी प्रकिया के दौरान उक्त अनाधिकृत कब्जे का खुलासा होने के बावजूद एवं वादीगण द्वारा बार निवेदन करने पर भी वे कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने हेतु तैयार नहीं हुए। अतः वादी अपनी खातेदारी भूमि के अतिक्रमित भूभाग से प्रतिवादी सं. 1 से 7 को बेदखल करवाते हुए कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व बाद कब्जा हंस्तांतरण स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:32 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकील वादीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादी वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

के रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 7 उक्त भूमि के सेढ़ा पड़ौसी है। मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादग्रस्त भूमि के अपनी सीमा से लगते कुछ भूभाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 7 का कब्जा काश्त होना पाया जाता हे, जिसका कोई विधिक आधार नहीं है। निरीक्षक भू अभिलेख सड़ा द्वारा पटवारी हल्का गोलिया जीवराज एवं वादीगण की मौजूदगी में मौका फर्द तैयार की गई किंतु उक्त मौका रिपोर्ट में कब्जास्थिति स्पष्ट नहीं होने से तहसीलदार सिणधरी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा तैयार मौका फर्द के अनुसार खसरा संख्या 179 की उत्तरी सीमा की लगती खसरा संख्या 152 से लगती 1–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 5 से 7 तक का तथा दक्षिणी सीमा की खसरा संख्या 182 व 183 से लगती 2–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 तक का कब्जा है, जो बिना किसी विधिक आधार के होने से अतिक्रमण की तारीफ में आता है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 179 की अतिक्रमित भूमि से प्रतिवादी सं. 1 से 7 का अतिक्रमण हटाया जाकर उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाया जाना तथा बाद कब्जा हस्तांतरण वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरूद्व वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 179 रकबा 27–01 बीघा भूमि के भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा किये गये अतिक्रमण को अवैध करार देते हुए प्रतिवादी सं. 1 से 7 को उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा खाली कर एक माह की अवधि में वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। बाद गुजरने अवधि तहसीलदार सिणधरी को कब्जा हस्तांतरण सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। कब्जा हस्तांतरण के बाद प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:32 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी